"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 644] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/12/1894. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/12/1064 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला कबीरधाम के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला कबीरधाम की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र0	विद्यमान सोसायटी को प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
(1)	(2)	(3)	(4)
निरंक			

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुनर्गठन योजना – 2025

अनुसूची–दो

संबद्ध बैंक– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	बम्हनी	धमकी	धमकी, कुटेली, बीरूटोला, बाघुटोला, नवापारा, झलका
2	नेवारी	कोठार	कोठार, घुघरीखुर्द, चरड़ोगरी, दुल्लापुर, नवागांव (फ.) मरपा, सारंगपुरखुर्द
3	मैनपुरी	छांटा झा	छांटा झा, लासाटोला
4	रौचन	बरहट्टी	ढोगईटोला, बरहट्टी, अचानकपुर, सेवईकछार, अमरौडी
5	लालपुर कला	बेंदरची	बेंदरची, चिमरा, जैतपुरी,
6	उसरवाही	खारा	निवासपुर, बहेराखार, खारा, डोंगरिया
7	समनापुर	बम्हनी	बम्हनी, लहबर, अगरी, सुतिया, तितरी, प्लाट तितरी, उमरिया, तरमा, रोल, प्लाट रोल, सूपखार, अड़वार, नगवाही,
8	कुसुमघटा	खड़ौदाकला	खडौदाकला, सिल्हाटी, गण्डईकला, गण्डईखुर्द,
9	सारंगपुरकला	खरहट्टा	खरहट्टा, कारेसरा, भरेली,
10	प्रभाटोला	बैहरसरी	बैहरसरी, बघर्रा, उसलापुर,
11	हरिनछपरा	भालूचुवा	चंडालपुर, भालुचुवा, तिलईभाठ
12	भलपहरी	कबराटोला	कबराटोला, महली, सिरमी
13	स. लोहारा	बसिनझोरी	लखनपुर, बासिनझोरी, पिपरटोला छोटे, केजादाह, बनखैरा,
14	बिरनपुर कला	बुधवारा	कारेसरा, चिलमखोदरा, बनिया, कुम्हारदनिया, बुधवारा
15	बचेड़ी	छीरबांधा	छीरबांधा, किनारीटोला, कुरलू, महराटोला, रेलई, कुटकीपारा, सिंघरापारा, सारी
16	बड़ौदाकला	दैहानडीह	बड़ौदाखुर्द, पड़कीपारा, सहसपुर, दैहानडीह
17	बैजलपुर	खड़ौदाखुर्द	कामाडबरी, कांशीपानी प्लाट, कांशीपानी, कोकदाखार, खड़ौदाखुर्द, कांदापारा, गांगीडबरी, साजाटोला, खरिया, मांदीभाठा कला, मुड़घुसरी प्लाट, मुड़घुसरी, सरई
18	बोदा (तरेगांव जंगल)	सिली पचराही	मुड़घुसरी जंगल, ठाकुरटोला, कोमो, मगरवाड़ा, अमेरा, दुल्लापुर, सोनतरा, बोदा 03, पचराही, सिली, बसोरसिली, लब्दा, पुतकी, जोकपानी
19	रबेली	सूखाताल	सुखाताल, खड़ौदाखुर्द
20	लखनपुर	कान्हाभैरा	कान्हाभैरा, नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर
21	सोनबरसा	जरती	जरती, नाऊडीह, बोधाईकुण्डा, दौजरी, दशरंगपुर, खैरीपार, सिंघनपुरी
22	मोहगांव	रैतापारा	अंधियारखोर, पलानसरी, रैतापारा
23	करपीगोड़ान	पाढ़ी	केशलीगोडान, पाढ़ी, रहमानकापा, बिरकोना, गांगपुर, पंडरीपथरा, लडुवा, लाडंगपुर
24	कुकदूर	महिडबरा	महिडबरा, अमनिया, नेउर, कुशियारी, बदना, घोघरा खुर्द

25	कामठी	मुनगाडीह	सिंगपुर, मुनगाडीह, मुनमुना, छिरहा, पीपरहा, टिकरवाह, कमराखोर, सगौना, बदौरा, गरगरा
26	कोदवागोड़ान	चतरी	तेलियापानी, मराडबरा, अंजवाईनबांह, चियाडांढ, भैसाडबरा, टकटोइया, विचारपुर, चतरी, मंगली, मंझोली रवन, गुढ़ा
27	चांटा	पोलमी	अधचरा, भेलकी, देवानपटपर, बोहिल, आगरपानी, तेलियापानी, पोलमी
28	सरईसेत	छिरपानी	अमरपुर, मदनपुर, छिरपानी, खैरडोंगरी, सरैहा
29	रणवीरपुर	पैलपार	पैलपार, बनिया, गोरखपुर, उसलापुर
30		गौरमाटी	गौरमाटी, गौरझूमर, कोटगांव
31	रणजीतपुर	सिंगारपुर (खै.)	सिंगारपुर (खै.), खैरबना, दैहानडीह, बाजगुढ़ा, सुकतरा, भण्डारपुर, ढोढमा नवापारा
32	विरेन्द्रनगर	रेंगाटोला	दारगांव, दरीगंवा, नवघटा, पटपर, रेंगाटोला, सबराटोला
33	धरमगढ़	टाटीकसा	टाटीकसा, मोहनपुर, दनियाखुर्द, खपरी, बिरनपुरखुर्द
34	सोनपुरी गुढ़ा	तमरूआ (मुख्यालय–चुचरूंगपुर)	तमरूआ, चुचरूंगपुर, बानो, कुआ
35	गैंदपुर	गोरखपुर कला	गोरखपुर कला, देवदहरा, सिंघौरी, रूसे, कुआ, करही
36	गोछिया	सेमरिया	सेमरिया, खैरझिटी
37	चारभांठा	राजपुर	राजपुर, अचानकपुर, गांगीबाहरा, धनेली
38	पिपरिया	मोहगांव	नवघटा, मोहगांव, गांगपुर
39	कोको	पथर्रा	मक्के, पथर्रा, खैरवार, जोगीपुर, आंछी
40	मरका	लघान	खैरझीटी, घिरघोसा, लघान, घोरेवारा, पण्डरिया
41	बिडोरा	रक्से	नरोधी, बबई, रक्से, भैंसबोड
42	मोहगांव	ग. खम्हरिया	बीसाटोला, कोटराबुन्देली, ग. खम्हरिया
43	कुरूवा	कल्याणपुर	खजरीकला, कल्याणपुर, बामी, भैसबोड
44	सुरजपुरा	मोतिमपुर	कनवाटोला, मोतिमपुर, रानीदाहरा, बोटेसुर, नवागांव, भेण्ड्रा नवागांव, सोन्झरी, बिगारभर्री, सरईपतेरा
45		खोलवा	टाटावाही, धनौरा, खोलवा, कटोरी, रेन्दाखाम्ही
46	जुनवानी	घानीखुटा	कन्हारी, घानीखुटा, पण्डरीपानी, रानीगुडा, खमहरा, छितपुरीखुर्द, छितपुरीकला, कोयलारझोरी, बेरला, पण्डरीपानी, करमदा, बोल्दा, बाईरहा, लावा
47	महली	रेंगाबोड़	अखरा, खम्हरिया, गुंझेटा, बनियाकुबा, रेगाबोड, केशलीखुर्द
48	राजानवागांव	खिरसाली	खिरसाली, बाघुटोला, छपरी, चौरा, दियाबार, छरकीकछार, रजपुरा, थवरझोल, सिंगपुर

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुनर्गठन योजना – 2025

अनुसूची–तीन

संबद्ध बैंक– जिला सहकारी कन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव

क0	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	निरंक			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.